

13

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सी0एन0टी0 वाद संख्या-59/2015-16

श्रीमती बिलसी देवी एवं अन्य

-बनाम-

मेसर्स बी0सी0सी0एल0

-आदेश:-

22.07.2022

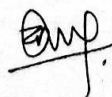
अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। यह वाद 1. श्रीमती बिलसी देवी पति स्व0 धनी राम महातो 2. कबुतरी देवी पति स्व0 नारायण महातो 3. दशरथ महातो 4. किशुन महातो दोनो पिता- स्व0 भवानी महातो, सा0-करमाटांड, पो0-करमाटांड, थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो द्वारा अपनी निज भूमि जिसका ब्योरा निम्नांकित है, को खनन कार्य के उद्देश्य से मेसर्स बी0सी0सी0एल0, बरौरा सं0-1 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 संशोधित Bihar Act 02 of 1996 के तहत हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र समर्पित किया गया है।

मौजा	मौजा सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़)
करमाटांड	112	23	241	0.02 ½
			254	0.0075
			270	0.02
			511	0.04
घुटवे	105	37	455	1.07½
			45	0.27½

इस संदर्भ में द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-311, दिनांक-03.05.2016 का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा करमाटांड, खाता सं0-23, प्लॉट सं0- 241, 254, 270, 511 की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है जबकि मौजा घुटवे, खाता सं0-37 प्लॉट सं0-455, 45 गैरमजरूआ खास भूमि है।

आवेदक दिनांक 16.08.2019 से लेकर आज तक सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि पर बी0सी0सी0एल0 के द्वारा उत्खनन



15
का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः वह यथाशीघ्र प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण चाहते हैं।

विद्वान अधिवक्ता के दलील, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संघारित अन्य कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के द्वारा संयुक्त रूप से अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन देकर प्रश्नगत भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 के अन्तर्गत उत्खनन के कार्य हेतु बी०सी०सी०एल० के पक्ष में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस भूमि के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया जा रहा है उस भूमि पर पूर्व से ही बी०सी०सी०एल० के द्वारा, अद्योहस्ताक्षरी के बिना अनुमति के उत्खनन का कार्य कर लिया गया है। अंचल अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में भी यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि बी०सी०सी०एल० के उत्खनन क्षेत्र के अन्तर्गत है। उल्लेखनीय है कि अद्योहस्ताक्षरी के बिना अनुमति के C.N.T की भूमि पर उत्खनन का कार्य किया जाना एवं दोनों पक्षों के द्वारा भूमि के हस्तांतरण हेतु संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत करना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "U/s 49(3) C.N.T Act. every such transfer must be made by registered deed, and before the deed is registered and the land transferred, the written consent of Deputy Commissioner must be obtained to the terms of the deed and to the transfer".

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों पक्षों के द्वारा इस वाद में सी०एन०टी० एक्ट की धारा-49 का उल्लंघन किया गया है। सी०एन०टी० एक्ट की धारा-49 (3) रैयतों को यह अधिकार नहीं देती कि वह बिना उपायुक्त के लिखित सहमति के अपनी भूमि को आपसी सहमति से बी०सी०सी०एल० को उत्खनन कार्य के उद्देश्य से दखल-कब्जे में दे। इस प्रकार उनके द्वारा सी०एन०टी० एक्ट-1908 की धारा-49 के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण की अनुमति हेतु दाखिल आवेदन पत्र निष्फल (infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करने का न तो कोई औचित्य है और न ही घटनोत्तर स्वीकृति (post facto sanction) का कोई प्रावधान। इस संदर्भ में सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची



के ज्ञापांक-6/ सी0एन0टी0/ मंतव्य-205/ 2022-2363/ रा0,
दिनांक-15.07.2022 के द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग को प्रेषित पत्र, जिसकी
प्रति सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को भी भेजी गई
है, में इसी तरह के मामले में महाधिवक्ता, झारखण्ड के मंतव्य से अवगत
कराया गया है, जो निम्नवत है-

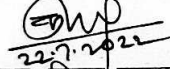
"Section 49 C.N.T. Act, 1908 clearly speaks of prior written
consent Therefore words used in Section 49 is "before" such transfer.

Thus the post facto sanction is not legal and valid".

I render my opinion accordingly that in all such cases written
consent and approval of the Deputy Commissioner is required under
Section 49(3) and 49(4) of the C.N.T. Act.

वर्णित परिस्थिति में उभय पक्षों के द्वारा भूमि हस्तांतरण की
अनुमति प्रदान करने हेतु दाखिल संयुक्त आवेदन पत्र को खारिज किया
जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथ ही जिला खनन
पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का स्थल
निरीक्षण करें और यदि अवैध खनन से संबंधित कोई मामला संज्ञान में
आता है तो विभागीय अधिसूचना, परिपत्र एवं माईनिंग एक्ट के तहत विधि
सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।